

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 130]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

क्र. एफ बी-1-10-2011-2-पांच (08).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 28 की उपधारा (1) एवं मध्यप्रदेश बीयर तथा वाइन नियमों के नियम 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. (60) बी-1-99-07-2-पांच, दिनांक 28 मार्च 2008 को आंशिक अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, राष्ट्रीय स्तर के विनिर्माताओं द्वारा राज्य फ्रेंचाइस पद्धति या किसी अन्य पद्धति के अधीन राज्य में उपभोग के लिए निर्मित बीयर पर 1 अप्रैल 2011 से बाटलिंग फीस रूपए 10.00 प्रति बल्क लीटर विहित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

क्र. बी-1-10-2011-2-पांच (08).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-10-2011-2-पांच (08), दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 29th March 2011

No. F-B-1-10-2011-2-V (08).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and rule 14 of the Madhya Pradesh Beer and Wine Rules and in partial supersession of this department's notification No. (60) B-1-99-07-2-V, dated 28th March 2008, the State Government, hereby, prescribes the Bottling fee at the rate of Rs. 10.00 per bulk litre on Beer manufactured for consumption in the State by manufactures of National status under franchisee system or any other system with effect from 1st April 2011.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

क्र. एफ बी-1-10-2011-2-पांच (09).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 28 की उपधारा (1), मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उपनियम (13) एवं मध्यप्रदेश बीयर तथा वाइन नियमों के नियम 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी इस विभाग की अधिसूचना क्र. (08) बी-1-13-07-2-पांच, दिनांक 24 फरवरी 2007 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, माल्ट लिकर जिसमें बीयर, एल, पोर्टर, स्टाउट एवं साइडर सम्मिलित हैं, के आयात पर 1 अप्रैल 2011 से रुपये 15.00 प्रति बल्क लीटर आयात फीस विहित करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

क्र. एफ बी-1-10-2011-2-पांच (09).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-10-2011-2-पांच (09), दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 29th March 2011

No. F-B-1-10-2011-2-V (09).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), sub-rule (13) of rule 18 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996 and rule 17 of the Madhya Pradesh Beer and Winr Rules and in supersession of this department's notification No. (08) B-1-13-07-2-V, dated 24th February 2007 issued in this behalf, the State Government, hereby, prescribes the import fee on the import of Malt Liquor including Beer, Ale, Porter, Stout and Cider at the rate of Rupees 15/- per bulk litre with effect from 1st April 2011.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.